बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी प्लाँट, सिरोंजा सागर – 470004 (म.प्र)

दूरभाष क्र : 07582–281345

ई–मेल sanchimccsagar@gmail.com

दुग्ध एवं सामग्री परिवहन कार्य हेतु इन्सुलेटेड वाहन, दुग्ध टैंकर व लोड़िंग वाहन परिवहन कार्य हेतु चतुर्थ ई–निविदा आमंत्रण सूचना

Ref No: 796/PO/ BKDS/SAGAR/ 2022 **Date: 01.11.2022**

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर को संघ के कार्य क्षेत्र में स्थित दुग्ध शीत केन्द्रो /बीएमसी से मुख्य डेयरी संयंत्र सागर तथा मुख्य डेयरी संयंत्र, सागर व दुग्ध शीत केन्द्र/बीएमसी से देश प्रदेश को अन्य दुग्ध संयंत्रो व प्रदेश के निजी व अन्य दुग्ध संयंत्रों तक दूध एवं अन्य सामग्री परिवहन कार्य हेतु टेंकर, इन्सुलेटेड वाहन व लोड़िंग वाहन परिवहन कार्य हेतु चतुर्थ ई–निविदा आमंत्रण सूचना का विवरण इस प्रकार है।

क्र.	प्रकार	क्षमता	कार्य विवरण	संख्या	धरोहर राशि/वाहन
1	टैंकर	9000 कि.ग्रा	दुग्ध परिवहन	02	25000/–
2	टैंकर	5000 कि.ग्रा	दुग्ध परिवहन	02	20000/–
3	इन्सुलेटेड वाहन	6000 कि.ग्रा	श्वेत मक्खन,एसएमपी, एवं अन्य सामग्री परिवहन हेतु	01	20000/–
4	लोडिग वाहन	1000 कि.ग्रा.	डी.सी.एस. सामग्री व अन्य सामग्री परिवहन कार्य हेतु	01	10000/–

उपरोक्त अनुसार वाहन संचालन हेतु इच्छुक परिवहनकर्ता से तीन वर्ष की अवधि के लिये ऑनलाईन ई–निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इस कार्य हेतु इच्छुक परिवहनकर्ता वेबसाइट **http://www.mptenders.gov.in** पर अपनी निविदा दरें प्रस्तुत कर सकते है। शर्तो का विस्तृत विवरण **www.sanchidairy.com** एवं **www.sanchisagar.com** पर मात्र पठन के लिये उपलब्ध है तथा धरोहर राशि ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य है। एक अथवा समस्त निविदाये निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ, सागर के पास निहित रहेगा।

निविदा डाऊनलोड प्रारंभ	निविदा डाउनलोड की अंतिम दिनांक	ऑनलाइन निविदा अपलोड की अंतिम दिनांक एवं समय	तकनीकी निविदा खुलने की तिथि एवं समय	वित्तीय निविदा खुलने की तिथि एवं समय
02.11.2022 04:00 PM	08.11.2022 04:00 PM	08.11.2022 04:00 PM	09.11.2022 04:00 PM	10.11.2022 04:00 PM

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी प्लॉंट, सिरोंजा सागर – 470004 (म.प्र)
दूरभाष क : **07582–281345**
ई–मेलः– sanchimccsagar@gmail.com

: निविदा दस्तावेज : **मूल्य रूपये 500/– मात्र**

ई–निविदा बाबत्	संघ के कार्य क्षेत्र में स्थित दुग्ध शीत केन्द्रो/बीएमसी से मुख्य डेयरी संयंत्र सागर तथा मुख्य डेयरी संयंत्र, सागर व दुग्ध शीत केन्द्रो/बीएमसी से देश प्रदेश को दुग्ध संयंत्रो, प्रदेश के निजी व अन्य दुग्ध संयंत्रों व अन्य स्थानों तक टैंकर क्षमता 9000 कि.ग्रा., 5000 कि.ग्रा. इन्सुलेटेड रोड मिल्क टैंकर द्वारा दुग्ध परिवहन कार्य, क्षमता 6000 कि.ग्रा. इन्सुलेटेड वाहन व 1000 कि.ग्रा. लोड़िंग वाहन से अन्य साम्रग्री लोड़िंग/अनलोड़िंग परिवहन कार्य हेतु परिवहनकर्ताओं से दरों के आमंत्रण की निविदा सूचना।
निविदा संदर्भ	**Ref No: 796/PO/ BKDS/SAGAR 2022 Date: 01.11.2022**
शेड्यूल–I	कार्य का विवरण एवं रोड मिल्क टैंकर ,इन्सुलेटेड वाहन व लोडिग वाहन की आवयकता संबंधी विवरण
शेड्यूल– II	सामान्य शर्तें एवं निविदा
शेड्यूल– III	अनुबंधित परिवहनकर्ता हेतु कार्य संचालन की आवश्यक शर्तें
शेड्यूल– IV	तकनीकी विवरण
शेड्यूल– V	दर प्रस्तुतीकरण पत्रक (टोल टैक्स सहित)
धरोहर राशि	शेड्यूल II के बिन्दु क्रमांक 5 के अनुसार दिनांकः 08.11.2022 अपरान्ह 04:00 PM बजे तक प्राप्त होना अनिवार्य।(Online mode)
निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि एवं समय	08.11.2022 अपरान्ह 4:00 PM बजे
ऑनलाइन निविदा दर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	08.11.2022 अपरान्ह 4:00 PM बजे
निविदा खोलने का समय एवं तिथि	– तकनीकी निविदा दिनांक 09.11.2022 दोपहर 04:00 PM बजे खोली जावेगी। –दर पत्रक दिनांक 10.11.2022 दोपहर 04:00 PM बजे खोले जावेगे।
निविदा प्रस्तुतीकरण	– धरोहर राशि केवल ऑनलाईन मोड मे ही स्वीकार की जायेगी। तकनीकी दस्तावेजो हेतु लिफाफा–A को एक अन्य बड़े सील बंद लिफाफे में रख कर इस लिफाफे को दिनांक 09.11.2022 दोपहर 03:00 PM बजे तक संघ कार्यालय में भौतिक तौर पर अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाना है।
	– दर प्रस्तुतीकरण केवल ऑन लाइन (online) ही किया जाना है ।
पत्राचार हेतु कार्यालय का पता	मुख्य कार्यपालन अधिकारी बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, डेयरी प्लॉंट, सिरोंजा सागर – 470004 (म.प्र)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी प्लॉट, सिरोंजा सागर – 470004 (म.प्र)

दूरभाष क्र : 07582–281345

ई–मेल- sanchimccsagar@gmail.com

शेड्यूल–I

(अ) कार्य का विवरण

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के कार्य क्षेत्र में स्थित –

(i) दुग्ध शीत केन्द्र से मुख्य डेयरी संयंत्र सागर तथा मुख्य डेयरी संयंत्र, सागर व दुग्ध शीत केन्द्र से देश प्रदेश के अन्य निजी दुग्ध संयंत्रो तक रोड मिल्क टैंकर ,इन्सुलेटेड वाहन एवं लोडिग वाहन की आवश्यकता संबंधी विवरण निम्मानुसार है।

क्रमांक	टैकर की क्षमता	प्रकार	कार्य नियोजन	टैंकरो की अनुमानित मांग (संख्या)
1	9000 कि.ग्रा.	दुग्ध टैंकर	दुग्ध शीत केन्द्र/बीएमसी से मुख्य डेयरी संयंत्र सागर तथा मुख्य डेयरी संयंत्र, सागर व दुग्ध शीत केन्द्र/बीएमसी से देश प्रदेश को अन्य दुग्ध संयंत्रो तक दुग्ध व अन्य सामग्री परिवहन कार्य हेतु	02
.2	5000 कि.ग्रा.	दुग्ध टैंकर		02
3	6000 कि.ग्रा.	इन्सुलेटेड लोडिंग वाहन		01
4.	1500 कि.ग्रा.	लोड़िंग वाहन		01

उपरोक्त अनुसार अधिक क्षमता का वाहन उपलब्ध कराने पर भी निविदा में वर्णित क्षमता अनुसार ही दर मान्य की जावेगी और कम क्षमता का वाहन स्वीकार्य नहीं होगा।

इस हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर द्वारा इन्सुलेटेड रोड मिल्क टैंकर से दुग्ध परिवहन करने हेतु व इन्सुलेटेड वाहन व लोड़िंग वाहन के द्वारा परिवहन कार्य करने हेतु किराये पर टैंकर,,इन्सुलेटेड वाहन व लोड़िग वाहन लगाने के इच्छुक परिवहनकर्ताओं से तीन वर्ष की अवधि के लिये ऑनलाइन निविदायें आमंत्रित की जाती है।

निविदा स्वीकृत होने पर वाहन के अनुरक्षण, डीजल, कर्मचारियों पर व्यय टोल टैक्स एवं अन्य सभी प्रकार के खर्चे परिवहनकर्ता को करने होगे। **अतः निविदाकारों द्वारा टैंकर, इन्सुलेटेड लोड़िग व लोड़िग वाहन संचालन में लगने वाले सभी व्ययों को समावेश कर रोड मिल्क टैंकरों की क्षमता व लोड़िंग वाहन क्षमता अनुरूप किराये पर लगाने हेतु केवल प्रति किलोमीटर चालन की ही दरें online प्रस्तुत की जाए।**

टीपः– आवश्यकतानुसार समान दर व निविदा की सेवा शर्तो के आधार पर टैंकरों एवं लोड़िंग वाहन की संख्या की मांग घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है।

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी प्लाँट, सिरोंजा सागर – 470004 (म.प्र)

दूरभाष क : 07582–281345

ई–मेलः– sanchimccssagar@gmail.com

शेड्यूल– II

दूध एवं सामग्री परिवहन हेतु ई–निविदा की सामान्य शर्ते एवं निविदा प्रस्तुत करने हेतु निर्देश :

1. दुग्ध संघ में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्यों तथा दुग्ध सहकारी समितियों के कार्यकारिणी सदस्यों एवं कर्मचारियों के परिवार जैसे पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, भाई–बहन को निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
2. संघ के पूर्व में प्रतिबंधित एवं ब्लैक लिस्टेड परिवहन ठेकेदार निविदा भरने हेतु पात्र नहीं होगे। प्रदेश के अन्य दुग्ध संघों द्वारा ब्लैक लिस्टेड परिवहनकर्ता को भी निविदा में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी।
3. संघ द्वारा पूर्व में यदि परिवहनकर्ता को सेवा एवं कार्य के अनुसार असंतोषजनक पाये जाने पर निविदा अवधि के पूर्व कार्य से पृथक किया गया है, तो ऐसे परिवहनकर्ता निविदा में भाग लेने के लिए अपात्र होगें।
4. निविदाकार के स्वयं या परिवार म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम–1960 की धारा–2 (आई) के अनुसार, के नाम का वाहन होना अनिवार्य है अर्थात् निविदाकर्ता के नाम या परिवार (व्यस्क व्यक्ति के नाम) से ही टैंकर व लोड़िंग वाहन का पंजीयन हो। वाहन के कागजात जिसका मूल दस्तावेज से परीक्षण किया जायेगा, प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदा की दर हेतु प्रस्तुत भाग (तकनीकी निविदा खुलने के समय) खोली नहीं जावेगी तथा ऐसे निविदाकार की निविदा निरस्त कर दी जावेगी ।
5. निविदा में धरोहर राशि और सुरक्षा निधि राशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	प्रकार	क्षमता	कार्य विवरण	संख्या	धरोहर राशि/वाहन	सुरक्षा निधि राशि/वाहन
1	टैंकर	9000 कि.ग्रा	दुग्ध परिवहन	02	25000/–	3,00,000/–
2	टैंकर	5000 कि.ग्रा	दुग्ध परिवहन	02	20000/–	2,00,000/–
3	इन्सुलेटेड वाहन	6000 कि.ग्रा	श्वेत मक्खन,एसएमपी, एवं अन्य सामग्री परिवहन हेतु	01	20000/–	1,50,000/–
4	लोडिग वाहन	1000 कि. ग्रा.	डी.सी.एस. सामग्री व अन्य सामग्री परिवहन कार्य हेतु	01	10000/–	50,000/–

उपरोक्तानुसार तालिका में दर्शित धरोहर राशि ऑनलाईन **"बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सिरोंजा, सागर"** के नाम देय होगी एवं निर्धारित समयावधि में प्राप्त होना अनिवार्य है धरोहर राशि के बिना प्रस्तुत निविदाओं को प्राथमिक स्तर पर ही अमान्य किया जावेंगा।

उक्त तालिका में दर्शित धरोहर राशि का समायोजन निविदा स्वीकृत होने पर संबंधित सफल निविदाकार के लेखों में सुरक्षा निधि के रूप में वाहन हेतु समायोजित की जावेंगी अर्थात् सुरक्षा निधि राशि एक मुश्त जमा करनी होगी। उसमें जमा धरोहर (ई.एम.डी.) राशि समायोजन की जावेंगी। सुरक्षा निधि राशि जमा उपरान्त ही टेंकर /वाहनो का संचालन किया जावेगा।

6. किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में तकनीकी निविदा पर हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए या किसी भागीदारी की अनुपस्थिति में उसकी ओर से प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए, जिसके पास ऐसा करने के लिए मुखत्यारनामा है। इस प्रकार उक्त व्यक्ति भारतीय भागीदार अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। साथ में पंजीकृत पार्टनरशिप डीड पत्र संलग्न करना होगा।
7 निविदाकार द्वारा यदि निविदा में कोई अन्य शर्त लगायी जाती है, तो ऐसी दशा में निविदा अमान्य कर दी जायेगी ।
8 टैंकर व वाहन मॉडल 2017 या इसके पश्चात् का होना अनिवार्य है। इसके पूर्व के होने पर प्रस्तुत निविदा को अमान्य कर दिया जावेगा।
9. नये मिल्क टैंकरों व लोड़िंग वाहन को प्राथमिकता दी जायेगी। भौतिक सत्यापन में टैंकर की स्थिति अच्छी होनी चाहिये। अन्यथा निविदा को अमान्य कर दिया जावेगा। मात्र स्वयं के नाम के वाहनों की उपलब्धता के अनुसार वाहनों हेतु निविदा भरी जा सकती है।
10. निविदाकार को निर्धारित निविदा प्रपत्र में दर प्रस्तुत करना होगी इस हेतु निविदा प्रपत्र रूपये 500/- ऑनलाइन भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।
11. निविदा डबल निविदा पद्धति (तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा) के आधार पर बुलाई जा रही है। निविदा निम्नानुसार प्रस्तुत करना होगी।

(अ) बिन्दु क्रमांक 5 अनुसार धरोहर राशि को Online mode मे ही जमा किया जाना आवश्यक है। जो "**बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित**" के नाम देय हो। जिसकी छायाप्रति एक लिफाफे मे रखा जाकर लिफाफे को सील बन्द करना है। इस लिफाफे के ऊपर "**निविदा हेतु धरोहर राशि**" तथा निविदाकार का नाम व पता स्पष्ट रूप से अनिवार्यतः अंकित किया जाये।

(ब) द्वितीय लिफाफे B में निविदा संबधित तकनीकी दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित (self attested) प्रतियों को दूसरा लिफाफा - B जो कि लगभग 25 cm x 30cm साईज का हो, में रखा जाकर लिफाफे को सील बन्द करना है। इस लिफाफे पर "**तकनीकी निविदा** "तथा निविदाकार का नाम व पता स्पष्ट रूप से अनिवार्यतः अंकित किया जाना अनिवार्य रहेगा।

उक्तानुसार तैयार किये गये दोनो लिफाफे A एवं B को तीसरे लिफाफे जो कि लगभग 25 cm x 35 cm साईज का हो, में रख कर सील बन्द किया जाना है। इस लिफाफे पर "**टैंकर से दुग्ध परिवहन कार्य,इन्सुलेटेड व लोडिग वाहन से परिवहन कार्य हेतु निविदा** संदर्भ **Ref No: 796/PO/BKDS/SAGAR 2022 Date: 01-11-2022** तथा निविदाकार का नाम व पूर्ण पता स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना है। यदि निविदाकार की मोहर उपलब्ध हो तो मोहर भी लगायी जाये।

इस लिफाफे को दिनांक 09.11.2022 को अपरान्ह 3.00 बजे तक अनिवार्यतः संघ कार्यालय में प्राप्त हो जाना अनिवार्य है।

(स) दर प्रस्तुतीकरण केवल ऑनलाइन किया जाना है। अन्य किसी अनुसार दरें स्वीकार्य नहीं होगी।

12. निविदा स्वीकृति करने के पश्चात् टैंकरों व लोड़िंग वाहन का संचालन अनिवार्य रहेगा अन्यथा की दशा में धरोहर राशि जप्त कर ली जावेगी।
13. निविदा में प्रस्तुत जानकारी किसी भी समय गलत पायी जाने पर धरोहर राशि जप्त कर ली जावेगी।
14. सभी निविदायें गुण दोष के आधार पर या कोई भी निविदा बिना कारण बताये स्वीकृत या अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
15. बिना हस्ताक्षर अथवा अपूर्ण जानकारी वाली निविदाओं को निविदा प्रक्रिया से बाहर रखा जावेगा।
16. निविदा प्रपत्र के दर्शायी जानकारी अनुसार वाहन मॉडल/ वर्ष का होना आवश्यक हैं। इस हेतु वाहन का पंजीयन, बीमा,फिटनेस प्रमाण-पत्र, प्रदूषण प्रमाण-पत्र, परमिट एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अतर्गत रजिस्ट्रेशन की स्व प्रमाणित कर प्रतियॉ कार्यालय में जमा करनी होगी।
17. सफल निविदाकार को कार्य आंरभ पूर्व निर्धारित अनुबंध पत्र में रूपये 1000/- के नॉन ज्यूडिशि्यल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध पत्र निष्पादन करना होगा। कार्य आवंटन के 10 दिवस में

अनुबंध निष्पादन अनिवार्य है। अथवा की स्थिति में सफल निविदाकार की दरें निरस्त कर धरोहर राशि सुरक्षा निधि जमा कर ली जावेगी।

18. निविदा में सम्मिलित पार्टियो में से प्रथम एवं द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार की अमानत राशि रोककर शेष निविदाकारों की अमानत राशि ई–निविदा की समस्त प्रक्रिया उपरान्त अधिकतम 30 दिवस में वापिस की जावेगी। प्रथम न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार द्वारा सेवा प्रदाय की स्थिति में द्वितीय निविदाकार की अमानत राशि 30 दिवस में वापिस कर दी जावेगी।
19. निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने से ये मान लिया जावेगा कि निविदा प्रस्तुत करने के लिए दी गयी निविदा की शर्ते/अनुबंध आदि का अवलोकन निविदाकार द्वारा कर लिया गया है। तथा परिवहन हेतु मार्ग की जानकारी से स्वंय को अवगत करा लिया गया हैं तथा उसे स्वीकृत है।
20. वाहन ठेकेदार को वाहन अनुबंध प्रारंभ होने के 01 माह के अंदर संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में संघ के सॉची दूध व दुग्ध पदार्थो का विज्ञापन अनुबंधित वाहन पर लिखवाना होगा जिसका सम्पूर्ण व्यय वाहन ठेकेदार द्वारा स्वंय वहन किया जावेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी प्लॉट, सिरोंजा सागर – 470004 (म.प्र)

दूरभाष क : 07582–281345

ई–मेलः– sanchimccsagar@gmail.com

SCHEDULE - III

सफल स्वीकृत निविदाकार / परिवहनकर्ता हेतु आवश्यक शर्ते :–

1. निविदाकार अपने वाहन के अनुरक्षण, डीजल, टोल टैक्स व अन्य सभी खर्चो कें लिये स्वयं उत्तरदायी होगा, इस हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम इत्यादि देय नहीं होगा।
2. परिवहनकर्ता को टैंकर व लोड़िंग वाहन परिवहन हेतु आवश्यक स्टॉफ मय अधिकृत लाइसेंस के साथ रखना होगा तथा संबंधित स्टॉफ का पुलिस सत्यापन तथा लाइसेंस की प्रति कार्यालय में जमा करनी होगी।
3. दुग्ध संयत्रों से समस्त शीत केंद्रों की दूरियां सत्यापित की गई है, अथवा की जावेगीं जिसके आधार पर ही परिवहन देयकों का कि.मी अनुसार भुगतान किया जायेगा।
4. परिवहनकर्ता द्वारा प्रदायित टैंकर में वॉल्व बॉक्स होना अनिवार्य है साथ ही टैंकर मेनहोल के ढक्कन के ऊपर कवर ढक्कन संघ द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार होना अनिवार्य होगा जिसमें कोई भी कमी होने पर संबंधित टैंकर को कार्य से पृथक कर दिया जावेगा।

   परिवहनकर्ता द्वारा प्रदायित इन्सुलेटेड वाहन का गेट लॉक होल होना अनिवार्य है साथ ही इन्सुलेटेड वाहन के दोनों गेट संघ द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार होना अनिवार्य होगा जिसमें कोई भी कमी होने पर संबंधित वाहन को कार्य से पृथक कर दिया जावेगा।
5. परिवहनकर्ता के प्रत्येक टैंकर में दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता के व्यय पर डिजिटल लॉक व जी.पी.एस.सिस्टम / सेन्सर के साथ लगाया जावेगा। इससे टैंकर की स्थिति इंटरनेट के माध्यम से देखी जा सकेगी तथा इसे रिकार्ड किया जा सकेगा। यदि डिजिटल लॉक व जी.पी.एस. सिस्टम / सेन्सर में परिवहनकर्ता द्वारा कोई छेड़–छाड़ की जाती है तो दुग्ध संघ द्वारा डिजिटल लॉक व जी.पी.एस सिस्टम / सेन्सर. के मूल्य की पाँच गुना राशि पेनाल्टी स्वरूप वसूली जावेगी एवं दुबारा ऐसा करने पर अनुबंध समाप्त कर सुरक्षा निधि राशि जप्त कर ली जायेगी जिसके लिये परिवहनकर्ता जिम्मेदार होगा।

परिवहनकर्ता के प्रत्येक इन्सुलेटेड लोड़िंग वाहन में दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता के व्यय पर डिजिटल लॉक व जी.पी.एस.सिस्टम के साथ लगाया जावेगा। इससे वाहन की स्थिति इंटरनेट के माध्यम से देखी जा सकेगी तथा इसे रिकार्ड किया जा सकेगा। यदि डिजिटल लॉक व जी.पी. एस. सिस्टम में परिवहनकर्ता द्वारा कोई छेड़–छाड़ की जाती है तो दुग्ध संघ द्वारा डिजिटल लॉक व जी.पी.एस सिस्टम के मूल्य की पाँच गुना राशि पेनाल्टी स्वरूप वसूली जावेगी एवं दुबारा ऐसा करने पर अनुबंध समाप्त कर सुरक्षा निधि राशि जप्त कर ली जायेगी जिसके लिये परिवहनकर्ता जिम्मेदार होगा।

6. खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त वाहनों का वैध पंजीयन अनिवार्य है।
7. शीत केंद्रों से दुग्ध टैंकर को भरकर उसका सैम्पल परिवहनकर्ता के प्रतिनिधि के सामने लेकर तथा तौल कर अथवा सत्यापित क्षमता के आधार पर दुग्ध टैंकर को आवश्यक स्थानों में निर्धारित सील / डिजिटल लॉक लगाकर तथा सीलों का नम्बर नोट व डिजिटल लॉक कर एवं दुग्ध के सैम्पल का परीक्षण उक्त प्रतिनिधि के समक्ष करके उसे दिखाकर तद्नुसार डिलेवरी चालान आदि बनाया जावेगा जिस पर सम्बंधित प्राप्तकर्ता (वाहन चालक / क्लीनर) के हस्ताक्षर होंगे तथा उसे गेट पास दिया जावेगा।

परिवहनकर्ता के स्टॉफ का यह कर्तव्य होगा कि, वह दूध भरे टैंकर को लेकर निकलने के पूर्व सम्पूर्ण चीजे सुनिश्चित् कर उसे निर्धारित स्थान पर उसी हालत में पहुॅचायें एवं उसकी दूध मात्रा, फैट एवं एस,एन,एफ में कोई अन्तर न आवे। दूध मात्रा, फैट एवं एस,एन,एफ में अंतर प्राप्त

होने पर इसकी वसूली परिवहनकर्ता से की जावेगी। उक्त अंतर लगातार प्राप्त होने पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार तत्काल प्रभाव से अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। साथ ही हानि की प्रतिपूर्ति परिवहनकर्ता से की जावेगी तथा उसे ब्लैक लिस्ट किया जावेगा। नियमों का उल्लंघन एवं अन्य अनियमितताओं की दशा में संबंधित नंबर के टैंकर तथा परिवहनकर्ता दोनों को ब्लेक लिस्ट किया जावेगा, उसे देश प्रदेश के अन्य दुग्ध संघों में भी परिवहन कार्य नहीं दिया जा सकेगा। जिसकी सूचना अन्य दुग्ध संघों को तत्काल दे दी जावेगी।

शीत केंद्रों/बीएमसी मुख्य डेयरी संयंत्र, सागर व अन्य स्थानों /संयंत्रों से लोड़िंग वाहन को भरकर उसका सामग्री परिवहनकर्ता के प्रतिनिधि के सामने लोड़ कर तथा तौल कर अथवा सत्यापित क्षमता के आधार पर लोड़िंग वाहन को आवश्यक स्थानों में निर्धारित सील/डिजिटल लॉक लगाकर तथा सीलों/डिजिटल लॉक कर नंबर नोट एवं सामग्री का परीक्षण उक्त प्रतिनिधि के समक्ष करके उसे दिखाकर तद्नुसार डिलेवरी चालान आदि बनाया जावेगा जिस पर सम्बंधित प्राप्तकर्ता (वाहन चालक/क्लीनर) के हस्ताक्षर होंगे तथा उसे गेट पास दिया जावेगा।

परिवहनकर्ता के स्टॉफ का यह कर्तव्य होगा कि, वह भरी सामग्री को लेकर निकलने के पूर्व सम्पूर्ण चीजे सुनिश्चित् कर उसे निर्धारित स्थान पर उसी हालत में पहुॅचायें एवं सामग्री में कमी होने पर इसकी वसूली परिवहनकर्ता से की जावेगी। उक्त अंतर लगातार प्राप्त होने पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार तत्काल प्रभाव से अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। साथ ही हानि की प्रतिपूर्ति परिवहनकर्ता से की जावेगी तथा उसे ब्लैक लिस्ट किया जावेगा। नियमों का उल्लंघन एवं अन्य अनियमितताओं की दशा में संबंधित नंबर के लोड़िंग वाहन तथा परिवहनकर्ता दोनों को ब्लेक लिस्ट किया जावेगा, उसे देश प्रदेश के अन्य दुग्ध संघों में भी परिवहन कार्य नहीं दिया जा सकेगा। जिसकी सूचना अन्य दुग्ध संघों को तत्काल दे दी जावेगी।

8. यदि टैंकर पर लगी डिजिटल लॉक/सील/सीलों में कोई टेम्परिंग पाई जाती है तो दूध की मात्रा फैट एवं एस.एन.एफ में अंतर न आने पर भी इस स्थिति में रू 20,000/– का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा तथा इस कृत्य की प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज की जावेगी।

यदि लोड़िंग वाहन में लगी डिजिटल लॉक/सील/सीलों में कोई टेम्परिंग पाई जाती है तो सामग्री में कमी न आने पर भी इस स्थिति में रू 20,000/– का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा तथा इस कृत्य की प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज की जावेगी।

9. परिवहन निर्देशों में दूरी अनुसार अधिकतम परिवहन समय सीमा निर्धारित की गई है उससे अधिक समय में टैंकर लाने पर जहॉ अर्थदण्ड लगाया जावेगा वही गुणवत्ता प्रभावित होने की स्थिति में हुई सम्पूर्ण क्षति की भरपाई परिवहनकर्ता के देयकों से की जाएगी।

परिवहन निर्देशों में दूरी अनुसार अधिकतम परिवहन समय सीमा निर्धारित की गई है उससे अधिक समय में लोड़िंग वाहन लाने–ले जाने पर जहॉ अर्थदण्ड लगाया जावेगा वही सामग्री की कमी होने की स्थिति में हुई सम्पूर्ण क्षति की भरपाई परिवहनकर्ता के देयकों से की जाएगी।

10 दुग्ध टैंकरों के सम्पूर्ण अनुरक्षण तथा दुग्ध टैंकर के अनुरक्षण जैसे साफ सफाई, लीकेज, पेंटिग, लाकिंग व्यवस्था इत्यादि व्यवस्थित रखना आवश्यक होगा। टैंकर के अन्दर की सफाई संघ द्वारा की जावेगी।

लोड़िंग वाहन के सम्पूर्ण अनुरक्षण तथा वाहन के अनुरक्षण जैसे साफ सफाई, लीकेज, पेंटिग, लाकिंग व्यवस्था इत्यादि व्यवस्थित रखने की जवाबदारी परिवहनकर्ता की होगी।

11. परिवहन के दौरान टैंकर या लोड़िंग वाहन क्षतिग्रस्त होने पर या खराब होने पर, ओवरलोडिंग या अन्य कारणों से अनावश्यक विलम्बित होने के कारण यदि दूध की गुणवत्ता या मात्रा में कमी परिलक्षित होती है तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व् परिवहनकर्ता का होगा, एवं समस्त क्षति का कटौत्रा परिवहनकर्ता के देयक से किया जावेगा।
12. टैंकर/लोड़िंग वाहन फेल होने पर अन्य टैंकर/लोड़िंग वाहन की व्यवस्था कर दूध/सामग्री का परिवहन करने का दायित्व परिवहनकर्ता का होगा तथा इस परिवर्तन में हुए फैट, एस,एन,एफ, दूध की मात्रा एवं सामग्री की हानि की वसूली की जाएगी, इस स्थिति में परिवहनकर्ता को संघ कार्यालय से परिवर्तन करने की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।
13. यदि परिवहन के दौरान टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है एवं जिसके परिणामस्वरूप दूध का नुकसान होता है तो हानि की संपूर्ण राशि परिवहनकर्ता के देयक से कटौत्रा की जायेगी।

यदि परिवहन के दौरान वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है एवं जिसके परिणामस्वरूप सामग्री का नुकसान होता है तो हानि की संपूर्ण राशि परिवहनकर्ता के देयक से कटौत्रा की जायेगी।

14. परिवहनकर्ता स्टॉफ को दुग्धालय परिसर में अच्छा आचरण एवं व्यवहार रखना होगा। किसी भी स्थिति में अभद्र आचरण दण्डनीय होगा। टैंकर/लोड़िंग वाहन एवं स्टाफ को दुग्धालय परिसर में निर्धारित स्थान पर टैंकर खाली होने तक ही रूकने की अनुमति होगी तथा टैंकर खाली होने पर तत्काल टैंकर को अपने निर्धारित स्थान हेतु रवाना होना पड़ेगा, अन्यथा प्रत्येक एक घंटे हॉल्डिंग का रूपये 1,000/– दंड लगेगा जिसका मिलान सिक्योरिटी गेट के रजिस्टर से किया जायेगा।
15. टैंकर में दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का परिवहन वर्जित हेागा। दुग्ध परिवहन के दौरान रास्ते में टैंकर किसी भी ढ़ाबे या मुख्य मार्ग से हटकर खड़ा नही होगा। अति आवश्यक होने पर मेन रोड़ पर ही टैंकर खड़ा किया जावेगा वह भी अधिकतम 30 मिनिट हेतु।

    लोड़िंग वाहन में दुग्ध संघ द्वारा प्रदाय सामग्री के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का परिवहन वर्जित हेागा। परिवहन के दौरान रास्ते में लोड़िंग वाहन किसी भी ढ़ाबे या मुख्य मार्ग से हटकर खड़ा नही होगा। अति आवश्यक होने पर मेन रोड़ पर ही वाहन खड़ा किया जावेगा वह भी अधिकतम 30 मिनिट हेतु।
16. टैंकरों/लोड़िंग वाहनों को क्षमता के अनुसार **R.T.O** से सत्यापित होना आवश्यक है। दुग्ध टैंकर /लोड़िंग वाहन बदलने हेतु उसकी पूर्व अनुमति कार्यालय से लेनी होगी। किसी भी दशा में पूर्व अनुमति के बिना टैंकर का बैरल/लोड़िंग वाहन बदला नहीं जाएगा। यदि बिना पूर्व अनुमति के परिवहनकर्ता द्वारा बैरल/लोड़िंग वाहन बदला जाता है तो ऐसे परिवहनकर्ता का अनुबंध निरस्त कर उसे कार्य से पृथक कर, अमानत राशि जप्त करते हुए ब्लैक लिस्ट किया जायेगा। जिसका संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा, जो कि परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होगा।
17. परिवहन कार्य संघ द्वारा निर्धारित किए गए नियत मार्ग से ही करना होगा। अन्य मार्ग से टैंकर/लोड़िंग वाहन का आना–जाना, पाये जाने पर यह माना जावेगा कि टैंकर/लोड़िंग वाहन को दूध/सामग्री चोरी के उद्‌देश्य से मार्ग बदलकर परिवहन किया गया है अतः तदानुसार कार्यवाही की जावेगी।
18. संघ कार्यालय द्वारा टैंकरो/लोड़िंग वाहनों की निगरानी हेतु गठित समिति के सदस्यों को परिवहनकर्ता के स्टॉफ द्वारा पूर्ण सहयोग देना अनिवार्य होगा।
19. भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत वाहन ठेकेदार द्वारा वाहन पर नियुक्त कर्मचारियों की केवल भविष्य निधि अधिनियम/कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान अनुसार परिवहनकर्ता को संबंधित विभाग से कोड नम्बर प्राप्त कर नियमित अंशदान जमा करना अनिवार्य होगा। अंशदान जमा न करने की दशा में प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि अंशदान की राशि वाहन ठेकेदार के देयकों/सुरक्षानिधि से वसूल कर जमा की जावेगी जिसकी पूर्ण जवाबदारी परिवहनकर्ता की होगी। इसी प्रकार श्रम अधिनियमों के अंतर्गत समस्त श्रम अधिनियमों के नियमों का पालन करने का दायित्व परिवहनकर्ता का होगा। परिवहनकर्ता को वाहन पर चलने वाले कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
20. परिवहनकर्ता को वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र बनवाना आवश्यक होगा, साथ ही संघ द्वारा निर्धारित गणवेश पहनना अनिवार्य होगा। समस्त व्ययों का वहन परिवहनकर्ता को करना होगा।
21. दुग्ध परिवहनकर्ता के द्वारा टैंकर पर निम्नानुसार लिखवाना आवश्यक होगा, नहीं लिखवाने पर संघ द्वारा लिखवाये जाने पर होने वाले समस्त व्ययों का कटौत्रा परिवहनकर्ता के देयक से कर लिया जावेगा जो परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होगा।

    (i) टैंकर के पीछे **''दुग्ध विक्रय हेतु नहीं है।'' लिखना होगा।**

    (ii) टैंकर के दोनों ओर **''यदि इस टैंकर से मार्ग पर दूध निकालते हुए देखा जाये तो कृपया** 7974008785 **अथवा 9407452890 नम्बर पर सूचित करें।**
22. समस्त वैधानिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति परिवहनकर्ता द्वारा करना अनिवार्य होगी।
23. नियमानुसार परिवहनकर्ता के देयक से आयकर एवं अधिभार का कटौत्रा गणनानुसार किया जावेगा। आयकर अधिकारी द्वारा कटौत्रा न करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही इसमें छूट मिलेगी।

23.स्वीकृत निविदाकार (परिवहनकर्ता) को बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ के साथ रूपये 1000/– के स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध करना अनिवार्य होगा साथ ही दुग्ध संघ की सदस्यता रूपये 100/–जमाकर सदस्यता प्राप्त करनी होगी, किन्तु मतदान इत्यादि की पात्रता नहीं होगी।

24.म.प्र. शासन द्वारा प्रति दिन डीजल दर निर्धारण की दशा में माह के पहले दिन (01 तारीख) की डीजल दर को पूरे माह की डीजल दर मानी जाकर, डीजल की दरों में वृद्धि या कमी होने पर परिवहन दरों में समानुपातिक वृद्धि अथवा कमी की जा सकेगी। इसकी गणना निम्नानुसार की जावेगीः–

9000 कि.ग्रा अथवा अधिक क्षमता	–––––	6 Km/lit
5000 कि.ग्रा. अथवा अधिक क्षमता	–––––	7 Km/lit
6000 कि.ग्रा. अथवा अधिक क्षमता	–––––	7 Km/lit
1000 कि.ग्रा. अथवा अधिक क्षमता	–––––	22 Km/lit

25. शेड्यूल II का बिन्दु क्रमांक 5 की तालिका में अंकित वाहन क्षमता कम नहीं होना चाहिए। और अधिक क्षमता होने पर भी अनुमोदित दर के आधार पर ही भुगतान किया जायेगा। प्रोरेटा लागू नहीं किया जावेगा।
26. उक्त टेंकर/लोड़िंग वाहन परिवहन निविदा 3 वर्ष हेतु बुलाई गई है। निविदा अवधि पूर्ण होने, कार्य संतोषप्रद होने एवं वाहनों की स्थिति तथा इंसुलेशन संतोषप्रद पाये जाने पर आपकी सहमति तथा अधिकृत समिति की अनुशंसा पश्चात् एक–एक वर्ष करके अनुबंध अवधि में अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तो पर की जा सकती है।
27. यदि दुग्ध संघ द्वारा निविदा के माध्यम से निश्चित संख्या में टेंकर/लोड़िंग वाहन मांगे जाते है तो तकनीकी निविदा में मांगे गए टेंकर/लोड़िंग वाहन की संख्या का अभिलेखों से परीक्षण किया जाए। निविदाकार के पास वांछित संख्या में टेंकर/लोड़िंग वाहन पाए जाने पर ही वित्तीय निविदा खोली जाए।
28. यदि दो या दो से अधिक पात्र निविदाकारों द्वारा समान दरें प्रस्तुत की जाती है तो लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाकर कार्य आवंटन आदेश जारी किया जाएगा।
29. वाहन ठेकेदार को अपने वाहन पर सॉची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद की पेंटिंग संघ द्वारा दिये गये नमूने अनुसार स्वयं के व्यय पर कराना होगी, अन्यथा संघ द्वारा लेखन कार्य कराने पर व्यय हुई राशि परिवहनकर्ता के देयक से कटौत्रा की जावेगी।
30. स्वीकृत निविदाकार को परिवहन के दौरान आवश्यकता होने पर मौखिक मांग अनुसार टैंकर/इन्सुलेटेड/लोडिग वाहन समय पर उपलब्ध करवाना होगें ।
31. परिवहन के दौरान संघ द्वारा गठित निगरानी समिति, अन्य व्यक्ति प्रशासन एवं पुलिस द्वारा दूध व सामग्री की चोरी करते पकड़ा जाता है तो आर्थिक **दण्ड रूपये 1,00,000/–** के साथ–साथ संपूर्ण अनुबंध अवधि में दूध की मात्रा फैट एवं एस.एन.एफ आदि व सामग्री में हुई कमी का कटौत्रा संबंधित ठेकेदार के देयकों अथवा सुरक्षानिधि से किया जावेगा। साथ ही वाहन पर कार्यरत कर्मचारियो को तत्काल प्रभाव से वाहन संचालन कार्य से हटाना अनिवार्य होगा। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उपरोक्त दण्ड बढ़ाया भी जा सकेगा इसके पश्चात् भी यदि चोरी/हेरा–फेरी में लिप्तता पाई जाती है, तो संबंधित परिवहनकर्ता एवं उसके वाहन चालक के विरूद्ध संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जावेगी तथा **मुख्य कार्यपालन अधिकारी** द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा जो परिवहनकर्ता को बंधनकारी होगा। किसी भी प्रकार की अप्रिय एवं अवांछनीय घटना की जानकारी कार्यालय को तुरंत देनी होगी।
32. परिवहन के दौरान रास्ते में टैंकर किसी भी ढाबे या मुख्य मार्ग से हटकर किसी भी स्थान पर अनावश्यक खड़ा नहीं होगा तथा संघ द्वारा निर्धारित मार्ग से ही जाना होगा। यदि जी.पी.एस. लोकेशन में यह पाया जाता है कि टैंकर शंकास्पद स्थान अथवा निर्धारित मार्ग से अलग स्थान पर खड़ा है अथवा परिवहन कर रहा है तो रू. 20,000/– का आर्थिक दंड किया जावेगा। किसी विशेष परिस्थिति में मार्ग बदलने पर उसकी सूचना संघ कार्यालय को देकर अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

परिवहन के दौरान रास्ते में वाहन किसी भी ढाबे या मुख्य मार्ग से हटकर किसी भी स्थान पर अनावश्यक खड़ा नहीं होगा तथा संघ द्वारा निर्धारित मार्ग से ही जाना होगा। यदि जी.पी.एस. लोकेशन में यह पाया जाता है कि वाहन शंकास्पद स्थान अथवा निर्धारित मार्ग से अलग स्थान पर खड़ा है अथवा परिवहन कर रहा है तो रू. 20,000/– का आर्थिक दंड किया जावेगा। किसी विशेष परिस्थिति में मार्ग बदलने पर उसकी सूचना संघ कार्यालय को देकर अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

33. देयक का भुगतान विलंबित होने पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
34. यह कि टैंकर, इन्सुलेटेड/लोडिग वाहन में सील/डीजीटल लॉक लगाने के सभी पार्टस लगे हो ताकि टैंकर दूध एवं दुग्ध पदार्थ लोड करने व लोडिग वाहन में सामग्री भरने के पश्चात सील किया जा सके।
35. परिवहन के दौरान प्राकृतिक कारणों अथवा अन्य किसी कारण से हुये मार्ग अवरोध की दशा में परिवहनकर्त्ता की जिम्मेदारी होगी कि वह संबंधित शासकीय अधिकारी से उसका प्रमाण पत्र प्राप्त कर संघ में प्रस्तुत करें तथा **महाप्रबंधक (सं.सं.)** के निर्देशानुसार दूध को समय पर डेयरी प्लांट में पहुॅचाये अथवा प्राप्तकर्ता डेरी तक पहुँचाये, यह तात्कालिक स्थिति पर निर्भर करेगा ।

36. अनुबंधकर्ता द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध शर्तो का उल्लंघन करने पर हुई हानि की राशि प्रथमतः उसके देयकों से उसके बाद सुरक्षानिधि से एवं शेष बचने पर वसूली की कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया के तहत की जावेगी। यह कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की लिखित पूर्व सूचना देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

37. किसी भी विवाद हेतु न्याय क्षेत्र सागर रहेगा एवं विवाद सहकारी न्यायालय में निपटाये जायेगे ।

36. अनुबंध की अवधि के दौरान अनुबंध की शर्तो में परिवर्तन/संशोधन किये जाने का संपूर्ण अधिकार आपसी सहमति से **मुख्य कार्यपालन अधिकारी** को होगा ।

37. परिवहन के दौरान अनावश्यक विलंब होने पर उस ट्रिप हेतु रूपये 20,000/–का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा ।

38. टैकरों/लोडिग वाहन की माँग बढ़ाई जा सकती है ऐसी स्थिति में टैंकर/लोडिग वाहन मांगे जाने पर 2 दिन के अंदर टैंकर /वाहन प्रदाय करना अनिवार्य होगा। टैंकर/ लोडिग वाहन प्रदाय न करने की स्थिति में संघ द्वारा अन्य व्यवस्था करने पर होने वाले समस्त व्यय को द्वितीय पक्ष से वसूल किये जावेगे।

39. परिवहनकर्ता को एक कम्प्रीहेंसिव बीमा पालिसी वाहनों हेतु लेना अनिवार्य होगी। परिवहनकर्ता का यह दायित्व होगा की आर.टी.ओ द्वारा निर्धारित टैक्स, फीस, डूयूटीज समय पर जमा करें तथा वाहन चालक के पास निर्धारित लाइसेंस होना आवश्यक है । मोटर व्हीकल ऍक्ट के अनुसार यदि कोई कमी पाई जाती है और दुर्घटना के कारण कोई नुकसान होता है तो इसकी पूर्ण जवाबदारी परिवहनकर्ता की होगी ना कि दुग्ध संघ की।
40. किसी भी प्रकरण में सामग्री/सेवा प्रदायक एवं दुग्ध संघ के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा।

    निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
44. परिवहनकर्ता को प्रत्येक माह की 15 तारीख तक विगत माह का देयक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विलंब होने पर संपूर्ण जवाबदारी परिवहनकर्ता की होगी।
41. द्वितीय पक्ष अथवा उसके प्रतिनिधि के अनुपस्थ्ति रहने की दशा में दूध का जो भी परीक्षण परिणाम होगा वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।
42. संघ के कार्य से संघ/संस्था के कर्मचारियों व सामग्री को आवश्यक पडने पर वाहन में लाना एवं ले जाना होगा।
43. अनुबंध समाप्ति के पश्चात् राशि वापिस प्राप्त करने के लिए समिति द्वारा प्रदत्त बकाया नहीं के प्रमाण –पत्र, जो कि शाखा प्रभारी से स्त्यापित कर प्रस्तुत होगें, प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि इससे समस्त वसूली योग्य राशि ,द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक तथा प्रतिभूति राशि से कटो़त्रा कर ले। यदि कटोत्रा शेष रहता है तो वसूली हेतु शासन के नियमानुसार राशि वसूल करने की कार्यवाही की जावेगी। एवं परिवहनकर्ता को काली सूची भी किया जा सकेगा। काली सूची किये जाने में वाहन ठेकेदार सहित वाहन एवं वाहन परिचालन हेतु वाहन के संबंधित कर्मचारियों को भी

काली सूचीबद्ध किया जा सकेगा। यदि एक ही वाहन मालिक के अन्य दुग्ध संघो में वाहन चल रहे है तो अन्य दुग्ध संघ को अवगत करवाया जावेगा।

44. मध्यप्रदेश परिवहन के रूल्स एवं रेगुलेशन के अनुसार सभी वाहनों के लिए समस्त दस्तावेज से संबंधित जानकारी की शर्ते समान होगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ
मर्यादित,
सिरोंजा, सागर (म.प्र.)

SCHEDULE - IV

तकनीकी विवरण

1. निविदाकार का नाम – ....
2. पूरा पता – ....
3. फोन नं / मोबाईल नं. – ....
4. ई–मेल आईडी – ....
5. वाहन का रजिस्ट्रेशन क्रमांक एवं प्रकार (दस्तावेजो की छायाप्रति संलग्न करें) – ....
6. रोड मिल्क टेंकर, इन्सुलेटेड व लोडिग वाहन क्षमता – ....
7. नये वाहन की दशा में Undertaking (उपक्रम समय सीमा सहित) – ....
8. आयकर पेन का विवरण (छायाप्रति संलग्न करे) – ....
9. किसी दुग्ध संघ : द्वारा काली सूची में – ....
   नामित नही किया है इस सम्बंन्ध में शपथ पत्र रू. 100/– (नोटरी द्वारा सत्यापित)
10. टैंकर का नियोजन किस कार्य हेतु किया जाना है। (दुग्ध शीतकेन्द्र से मुख्य डेयरी संयंत्र सागर तथा मुख्य डेयरी संयंत्र, सागर व दुग्ध शीत केन्द्र से देश प्रदेश को अन्य दुग्ध संयंत्रो तक – ....
11. मॉडल तथा मेक – ....
12. जी.पी.एस. सिस्टम की व्यवस्था – ....
13. आर.टी.ओ. संबंधित अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्थिति – ....
14. FSSAI पंजीयन क्रमांक (छायाप्रति संलग्न करें) – ....
15. अमानत राशि ऑनलाईन जमा की रसीद (क्रमांक/दिनांक व छायाप्रति संलग्न करें) – ....
16. जी.एस.टी. – ....

निविदा फार्म में वर्णित बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ के समस्त नियम व शर्ते पूर्णतः मान्य है ।

स्थान ....

दिनांक ....

हस्ताक्षर निविदाकार
नाम –
मोबाइल नं.–

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
डेयरी प्लॉट, सिरोंजा सागर – 470004 (म.प्र)
दूरभाष क्र : 07582–281345
ई–मेलः sanchimccsagar@gmail.com

SCHEDULE - V

दर प्रस्तुतीकरण पत्रक
(RATES SHOULD BE SUBMITTED IN THIS FORMAT)
FINANCIAL BID
Only Online

क्र.	विवरण	टैंकर नियोजन संख्या	दर प्रति कि. मी. (समस्त टोल टैक्स शामिल करते हुए) ऑनली ऑनलाईन ही मान्य रहेगी।
1	टैंकर क्षमता 9000 कि.ग्रा. दुग्ध शीत केन्द्र से मुख्य डेयरी संयंत्र, सागर तथा दुग्ध शीत केन्द्र से देश–प्रदेश के अन्य दुग्ध संयंत्रों तक	02	
2.	टैंकर क्षमता 5000 कि.ग्रा. दुग्ध शीत केन्द्र से मुख्य डेयरी संयंत्र, सागर तथा दुग्ध शीत केन्द्र से देश–प्रदेश के अन्य दुग्ध संयंत्रों तक	02	
3.	इन्सुलेटेड वाहन क्षमता 6000 कि.ग्रा. दुग्ध शीत केन्द्र / बीएमसी से मुख्य डेयरी संयंत्र सागर से प्रदेश के अन्य स्थानों व अन्य दुग्ध संयंत्रो तक	01	
4.	लोडिग वाहन क्षमता 1000 कि.ग्रा. दुग्ध शीत केन्द्र / बीएमसी से मुख्य डेयरी संयंत्र सागर से प्रदेश के अन्य स्थानों व अन्य दुग्ध संयंत्रो तक	01	

AGREEMENT FOR HIRING OF ROAD MILK TANKER FOR THE TRANSPORTATION OF MILK

THIS AGREEMENT IS MADE THE DAY_______________between Bundelkhand Sahakari Dugdha Sangh Maryadit, through its CHIEF EXECUTIVE OFFICER (hereinafter called, the FIRST PARTY, which expression shall, where the context be to include his successor in the office) And .... (herein after called the Transporter), Which expression shall, where the context so admit, includes his heirs, executors, successors and assignees on the SECOND PARTY.

WHEREAS THE Transporter has offered to provide ________ Nos. of Road Milk Tankers/ Insulated Vhicle/ loading Vhicle for the transportation of Milk on hiring basis, vide his tender offer No._____-____ Dt. after negotiations held on ------------

WHEREAS Bundelkhand Sahakari Dugdha Sangh Maryadit, has adgreed to hire Insulated Road Milk Tanker/ Insulated Vhicle/ loading Vhicle for the Transportation of Milk & other Material in the State of Madhya Pradesh, the said article from the transporter/supplier, on the approved rates, which are as following :

S.NO	Capacity	Rates within Madhya Pradesh
1.		
2.		
3		
4.		

Now therefore, the agreement witnesses and it is hereby agreed as following.

1. The approved rates shall be valid for three years from the date of approval of the rates and agreement shall be effected from date .
   In case of price revision of diesel, the rate will be revised proportionately considering number of Kilometers limit,
2. The said article shall be providing milk as per dispatch schedule.
3. The terms and conditions are agreed as per the Complete tender document..

Signature:

IInd party

Name _____________________

Address ___________________

phon no.- -------------------------

Pan No.------------------------------
_

Witness:

1 Name _____________________

Address ___________________

phon no.- -------------------------

Signture----------------------------

2- Name _____________________

Address ___________________

phon no.- -------------------------

Signature:

I st party

CEO
Bundelkhand Sahakari Dugdha Sangh Maryadit

Narsinghpur Road Srionja sagar 470004

Witness:

1 Name _____________________

Address ___________________

phon no.- -------------------------

Signture----------------------------

2- Name _____________________

Address ___________________

phon no.- -------------------------

Signture----------------------------- Signture-----------------------------

वचन –पत्र

मैं..आत्मज..आयु लगभग......................निवासी.. ....बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ में..................कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह वचन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मेरा बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष/संचालक/दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं है।

मेरे द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र यदि भविष्य में गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ किसी भी समय मुझे आवंटित कार्य निरस्त कर जो भी कार्यवाही करेगा उसे मानने के लिए मैं बाध्य रहूंगा/रहूंगी तथा इसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं करूंगा/करूंगी।

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम ....
पता ....
....
....

सत्यापन

मैं... उपरोक्त वर्णित वचनदाता सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त कथन पूर्णरूपेण सत्य होकर वि वसनीय है।

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम ....
पता ....
....
....

शपथ–पत्र (रू. 100/– के नोटराईज्ड स्टॉम्प पेपर पर)

मैं..निवासी ....
....................................बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ में इन्सुलेटेड रोड मिल्क टैंकरों से दुग्ध परिवहन कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ/रही हूँ। मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ/रही हूँ कि मुझे शासकीय/अशासकीय संस्था से किसी भी कार्य में अनुबंध की नियम शर्तो का उल्लंघन करने से कार्य निरस्त अथवा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।

मेरे द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र यदि भविष्य में गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ किसी भी समय मुझे आवंटित कार्य निरस्त कर जो भी कार्यवाही करेगा उसे मानने के लिये मैं बाध्य रहूँगा/रहूँगी तथा इसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं करूंगा/करूंगी।

दिनांक.................. **हस्ताक्षर**

नाम ....

पता ....

....

....

हस्ताक्षर ....